

अप्राप्तिकागता कुर दिका हे अतः पुनः आदेशानुसार
क्रमांक 22/9/23 के पृष्ठ 4

22/9/23

वाही एवं वकील वाही उप. नहीं।
बाद-बाद दावापत्र दिनांकी गई।
किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।
ऐसी स्थिति में दावा वाही अदम
हाजरी एवं अदम परवी में रखा जा
किया जाता है। पत्रा. दालिल प्रस्त
है।

(2)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
पहाड़ी (डीग)